मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल–462016

भोपाल, दिनांक,– 26 जुलाई 2005

अधिसूचना

क्रमांक –1768/म.प्र.वि.नि.आ./2005 – विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 (2) (जेडई, जेडजी) सहपठित धारा 62 (2) और 64(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, क्रमांक 2118 – म.प्र. वि.नि.आ. – 04 दिनांक 6 अगस्त, 2004 द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारणा के लिये उत्पादन कंपनियों और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति और उसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 में एतद् द्वारा निम्नानुसार संशोधन करता है ।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारणा के लिये उत्पादन कंपनियों और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति और उसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 में संशोधन

कथित विनियमों में

1. विनियमों के हिन्दी रूपांतरण के पृथम पृष्ठ की प्रथम पंक्ति में, धारा 181 (2) के उपरांत शब्दों, ''(यछ, यज्ञ)'' को शब्दों ''(जेडई, जेडजी)'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जावे।

2. **विनियम 1.40 में**
   विनियम के हिन्दी संस्करण में, विनियम की अंतिम पंक्ति में अंक ''9 (1)'' के उपरांत अंक ''9 (2)'' अर्न्तस्थापित किया जावे ।

3. विनियम के हिन्दी संस्करण के अन्त में, शब्द
   ''आयोग के आदेशानुसार, अशोक शर्मा, उपसचिव'' जोड़े जावें ।

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, उपसचिव